षोडश बिहार विधान सभा

पंचम सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-20.03.2017 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव, स०वि०स० श्री जितेन्द्र कुमार, स०वि०स० श्री मो० नवाज आलम, स०वि०स० श्री आनन्द शंकर सिंह, स०वि०स० डॉ० राजेश कुमार, स०वि०स० (क्षेत्र संख्या-15)	"बिहार के किसी भी जिले में मूंग का बीज कृषि विभाग द्वारा किसानों को नहीं पहुँचाया गया है जबकि मूंग की बुआई 20 अप्रैल तक मान्य है । राष्ट्रीय बीज निगम ने बीज आपूर्ति हेतु निविदा में भाग लिया था जिसका विभाग द्वारा निविदा का निपटारा नहीं किया गया । भारत सरकार के मानक के अनुरूप राष्ट्रीय बीज निगम से मूंग की आपूर्ति के लिए किसी निविदा की जरूरत नहीं है । एकल निविदा पर वित्त विभाग से राय मांगी गयी थी । वित्त विभाग ने स्पष्ट लिखा है कि जरूरी स्थिति में राष्ट्रीय बीज निगम से मूंग आपूर्ति करा सकते हैं, पर विभाग की लापरवाही के कारण पूरे बिहार के किसान मूंग बीज से अभी तक वंचित हैं । अत: राज्य हित में किसानों को मूंग बीज की अविलम्ब आपूर्ति हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"	कृषि

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
2.	श्री अशोक कुमार सिंह, स०वि०स० (क्षेत्र संख्या-203) श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह, स०वि०स० श्री विजय कुमार सिन्हा, स०वि०स० श्री केदार प्र० गुप्ता, स०वि०स० श्रीमती गायत्री देवी, स०वि०स०	''बिहार में लगभग दो लाख आँगनवाड़ी कर्मी कार्यरत हैं जिन्हें केन्द्र संचालन के अतिरिक्त पोलियो उन्मूलन, फलेरिया उन्मूलन, शिशु टीकाकरण, किशोरी जागरूकता के साथ ही चुनावी कार्यक्रमों में भी लगाया जाता है । इन्हें 3000/- + 750/- की राशि दी जाती है जिसमें परिवार की जिम्मेवारी सम्भालना काफी कठिन है । अन्य राज्य यथा गोवा में सेविका को दस हजार एवं सहायिका को पांच हजार रूपये अतिरिक्त मानदेय दिया जाता है । आँगनवाड़ी कर्मी अपनी मांगों को लेकर बराबर ही राज्य सरकार / केन्द्र सरकार से अनुरोध करते रहे हैं । अत: आंगनवाड़ी कर्मी के मांगो पर विचार करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"	समाज कल्याण

राम श्रेष्ठ राय
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-14/17- 1965-1977 /वि०स०, पटना, दिनांक-18 मार्च, 2017 ई० ।

प्रति:- बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्य मंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्री / माननीय मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय, पटना / संसदीय कार्य विभाग / कृषि विभाग तथा समाज कल्याण विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

18/3/17
(अनिल कुमार जायसवाल)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-14/17- 1965-1977 /वि०स०, पटना, दिनांक-18 मार्च, 2017 ई० ।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रशाखा पदाधिकारी, सचिवीय कार्यालय को क्रमश: माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

18/3/17
(अनिल कुमार जायसवाल)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

18/3/17